हैदराबाद ग्रामीण विकास सोसाइटी का कार्यकरण

3889. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या हैदराबाद ग्रामीण विकास सोसाइटी अब तक केवल सैद्धांतिक कार्य कर रही है, यदि हां, तो क्या सरकार उसे 10 पंचायतों का एक मडल बनाकर गांवों का एक समूह देने का विचार रखती है ताकि वह प्रत्येक गाव को अपनी इच्छा के अनुरूप व्यवहारिक रूप से विकसित कर सके, और

(ख) क्या सरकार इस सोसाइटी द्वारा वैसा ही ग्रामीण विकास कार्य करने का विचार रखती है जैसाकि दक्षिणी कोरिया में न्यू रूरल रिजनरेशन सोसाइटी ने किया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा): (क) और (ख) इस विभाग को हैदराबाद ग्रामीण विकास सोसाइटी के कार्यकरण के बारे में कोई जानकारी नही है। साथ ही, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नही है जैसा कि प्रश्न मे उल्लेख किया गया है।

Sale of scarce items in the black market

3890. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether Government are aware that some members of the staff of the Super Bazar, Delhi sell scarce items like Palmolein oil etc at black market; and

(b) if so, what steps Government have taken to check the evil?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI H. K. L BHAGAT): (a) and (b) The Super Bazar has reported that recently there were two specific cases of irregularities in the sale of Palmolein oil by certain members of its staff. In both the cases, complaints have been lodged with the Police. In addition, departmental action has been initiated against the persons concerned. The Super Bazar has reported that strict vigilance is being exercised through surprise checks over the sale of such commodities

दिल्ली के उपराज्यपाल को "कारण बताओ नोटिस"

3891. **श्री रामसिंह भाई पातलीयाभाई राठवा : क्या शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने पीतमपुरा मे एक मकान के दो फुट जमीन में धस जाने के मामले के संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल (जो दिल्ली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी है), दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपा-

ध्यक्ष और मुख्य अभियंता को कारण बताओ नोटिस" जारी किया है और उनसे इस नोटिस का जवाब 18 नवम्बर तक देने के लिये कहा गया है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 नवम्बर, 1987 के दिल्ली के हिन्दी दैनिक, नवभारत टाइम्स" मे "पीतमपुरा के सौ मकान खतरे मे" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस मामले का ब्यौरा क्या है और इस संबंध मे न्यायालय द्वारा क्या आदेश जारी किया गया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण से प्राप्त सूचना के अनुसार, 1987 के सी० डब्ल् नम्बर 3129 मे (डा० तृप्तासूरी बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा अन्य), एक कारण बताओ नोटिस 16-11-87 को दिल्ली विकास प्राधिकरण पर तामील किया गया था । स्वीकृति के लिये मामले की तारीख 18-11-87 निर्धारित की गई थी। नोटिस दिल्ली विकास प्राधिकरण के पैनल वकील को भेज दिया गया था परन्तु दिल्ली उच्च न्यायालय में बार के सदस्य 18-11-87 को हड़ताल पर थे । याचिका कतिपय मकानों के फर्शों/नीवों के बैठने तथा परिणामस्वरूप सीवर लाइन के साथ वाली तथा सामने वाली दीवारो मे दरारे पडने के संबंध में है । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी सूचित किया है कि इस मामले मे न्यायालय का निर्णय उन्हें अभी प्राप्त नही हुआ है

Drinking water to Nainidanda Block of Pauri Garhwal

3892 SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to refer to reply to Unstarred Question 3189 given in the Rajya Sabha on the 21st August, 1987 and state:

(a) what steps Government propose to take regarding regular drinking water supply under Dobriyalsar Samuhik Gram Drinking Water Scheme, Gram Sandali Talli Drinking Water Scheme and Shyalkhatta-Roondalai Drinking Water Scheme to the villages of Nainidanda Block of Pauri Garhwal;

(b) whether it is a fact that the construction of Dobriyalsar Samuhik Gram Drinking Water Scheme has not been done according to its earlier survey/proposal and the construction is not satisfactory from the technical point of view;

(c) whether it is also a fact that the substandard material has been used in the construction of this Scheme and many irregularities have been committed by the officials attached with the scheme;

(d) if so, whether Government propose to set up a team of high officials to check up the misuse of Government fund and irregularities of the officials; and

(e) if not, what are the reasons therefor?